

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत्त.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105 ]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 23 जनवरी 2010—माघ 3, शक 1931

मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2010

आदेश

क्र. एफ-51-04-09-तीन-657.—मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 सहपठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, निर्वाचन परिणामों की घोषणा के पश्चात् निर्वाचन को उक्त नियम 90 में वर्णित रीति से अधिसूचित करने के लिए आयोग के ज्ञापन क्रमांक एफ-37-तीन (6)-95-2126, दिनांक 19 जून 1996 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है, जिसका “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” क्रमांक 256, दिनांक 20 जून 1996 में प्रकाशन करवाया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करता है:—

क्रमांक	पद (जिसका निर्वाचन अधिसूचित किया जाना है)	प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	ग्राम पंचायत के सरपंच तथा पंच	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
2	जनपद पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य	जिला निर्वाचन अधिकारी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-

( अनुपम राजन )

सचिव,

मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.